



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विद्युत विभाग, 28, जलमयारी, नई दिल्ली-110029

सूचना संख्या: 103/टीएल/2023 दिनांक: 15.5.2023

सूचना सं. 103/टीएल/2023

दिनांक: 15.5.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पेट्रान ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिडसर, प्रथम तल, यूनिट सं.101, कलिंगा, सांताक्रूज़ ईस्ट-400 090, मुंबई, महाराष्ट्र, द्वारा विनियमित टैरिफ चार्ज (आरटीएम) मोड (इसके परचात 'पारेषण योजना' के रूप में संदर्भित) पर 400/220 केवी पेट्रान (जीआईएस) सब-स्टेशन पर 1x500 एमवीए, 400/220 आईसीटी (तृतीय) से रूपांतरण क्षमता का संवर्धन के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15, 79(1)(ड) के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना, जिसके लिए पारेषण अनुज्ञापि मांगी गई है, का कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पारेषण योजना का कार्य-क्षेत्र	क्षमता/दिनांक	कार्यान्वयन समय-सीमा
1.	आईसीटी-टाई-लाइन के नए व्यास में जीआईएस डबल (400 केवी और 220 केवी पर) के साथ 400/220 केवी पेट्रान (जीआईएस) सब-स्टेशन पर 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तृतीय) से रूपांतरण क्षमता का संवर्धन .	<ul style="list-style-type: none"> 500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी-1 नंबर 400 केवी आईसीटी डे (जीआईएस)-1 नंबर बाहरी जीआईएस डबल तक डबल भावी लाइन के लिए व्यास को पूरा करने हेतु 400 केवी डे (जीआईएस)-1 नंबर 220 केवी आईसीटी डे (जीआईएस) - 1 नंबर 	सीटीयूआईएल द्वारा ओएम के जारी किए जाने से 21 मास
कुल अनुमानित लागत			₹. 65.15 करोड़

- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 28.11.2022 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करने के साथ आरटीएम मोड पर पारेषण योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया था।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 17.4.2023 के अपने पत्र द्वारा उपर्युक्त पैरा-1 में यथा उल्लिखित आरटीएम रुट के माध्यम से पारेषण के निष्पादन हेतु पेट्रान ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को पृथक पारेषण अनुज्ञापि प्रदान करने के लिए संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 103/टीएल/2023 में दिनांक 15.5.2023 के आवेदक द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथा उल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- पेट्रान ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को अंतरराष्ट्रीय पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुरोध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रती को वेबसाइट <https://www.indiaidra.co.in/documents-manageor/> पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हों, को उक्त पत्र पर दिनांक 5.6.2023 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 8.6.2023 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-
(हरदीप सिंह शुक्ला)
सचिव